III / निग0 / रीवा / 2017 / 4232 (151)

258

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

राघवेन्द्र सिंह तनय श्री शांती बहादुर सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ 517 थाना व तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

———निगरानीकर्ता

बनाम

1—रणकेश बहादुर सिंह तनय श्री फतेह बहादुर सिंह उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम महसुआ 517 तहसील थाना रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

2— शासन म0प्र0

———————— गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील रायपुरकर्चु0 जरिए प्र0क0 142/अ—12/16—17 पारित आदेश दिनांक 27—9—2017

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है —

1— यह कि यह तथ्य निर्विवाद है कि आराजी क0 135/2 रकवा 0.206 हे0 स्थित ग्राम महसुआ 517 तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 आवेदक के निजी हिस्से कब्जेदखल व स्वत्व की भूमि है जिस पर आवेदक का रहायसी मकान बना है व पेड़ पौधे लगे हुए है । एवं कब्जा दखल जरिए आवादी निस्तार कायम है ।

2— यह कि अधीनस्थ तह0न्यायालय व राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा आवेदक को जेरबार व परेशान करने के लिए मौके की आवेदक की हिस्से व कब्जा दखल के विपरीत नक्शा तरमीम किया जाकर आ0क0 135/2 को अन्य अन्य जगहो मे प्रतिस्थापित किया गया है जिसके सम्बन्ध

राघवेन्द्र सिंह

(151)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 4232 जिला–रीवा

राघवेन्द्र सिंह / रणकेश बहादुर

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अलोक तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 142 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	